

कैंटीन भंडार विभाग

महाप्रबंधक के सामान्य एवं सदभावना कोष से ऋण का आवेदन

डिपो / मु. शाखा

सरकारी ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्य व्यवसायिक कोर्स के लिए ऋण

संदर्भ परिपत्र संख्या ३/प्रशा/बी-२/२०७७-११/७० क्र. १६ दिनांक ११ जनवरी २००८

- ए) छात्र का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) :
- बी) जन्म की तारीख / उम्र :
- सी) दाखिला हो गया (हां / नहीं) :
- डी) शैक्षणिक योग्यता :
- ई) शिक्षण के लिए प्रस्तावित कोर्स का नाम :
- एफ) विश्व विद्यालय / संस्थान का नाम :
- जी) कोर्स की अवधि :
- एच) कोर्स के प्रारम्भ होने की तारीख :
- आई) कोर्स का पूरा खर्च :
- जे) पहचान के लिए विश्व विद्यालय /
महाविद्यालय की वास्तविक प्रमाणपत्र
कागज प्रमाण संलग्न करे।

२. सी.एस.डी. में सेवारत माता पिता का विवरण

- १) व्य सं. २) पूरा नाम: ३) पदनाम: ४) तैनात स्टेशन:

५) कुल मासिक आय सभी भत्ताओं के साथ:

८) सेवा निवृत्ति की तारीख:

नोट: अधिकतम ऋण ७००००/- (सत्तर हजार रु. मात्र) जो ५% ब्याज के साथ ५० प्रतिमाह १४००/समानकिस्तों में मुझे देय होगी।

व्य.सं....., श्री/श्रीमती....., उपनाम.....
यहप्रमाणित करता/करति हूं कि उपरोक्त दिया गया ब्योरा मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है | मुझे ज्ञात है कि गलत और झूठी जानकारी दिए जाने पर सी सी एस (आचरण) अधीन मुझ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई वैद्य होगी। मैंने अपने बेटा/बेटी के व्यवसायिक कोर्स के लिए कोई संस्था से ऋण नहीं लिया है और मैं अपने वेतन से प्रतिमाह उपरोक्त ऋण ५% ब्याज के साथ कटौती की अनुमति देता हूं मेरा सेवा काल इस कार्यालय में ३ वर्ष से अधिक है।

तारीख :

आवेदक का हस्ताक्षर

स्टेशन :

प्रतिहस्ताक्षरकर्ता :

शर्तें एवं अनुबंध

१. अधिकतम ७००००/- का ऋण प्रतिबच्चे के पढ़ाई के हिसाब से बशर्तें अधिकतम दो बच्चों के लिए ही विचारणीय होगा।
२. पढ़ाई के दौरान लोन लिया जा सकता है अर्थात् पढ़ाई समाप्ति के बाद नहीं यदि सेमिस्टर का एक भाग पूरा हो गया तो कर्मचारी पढ़ाई के बाकी भाग के लिए लोन आवेदन कर सकता है।
३. सरकारी एवं ए.आई.सी.टी. के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के ३ वर्षीय डिग्री डिप्लोमा के लिए भी ऋण लागू होगा। अभियांत्रिकी प्रबंधन मेडिसिन एवं समवर्गीय कोर्स एवं कम्प्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, औषधीय जनसंचार फैशन डिजायनिंग, वास्तुकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट आई.सी.डब्ल्यू ए.कंपनी सचिव पढ़ाई भी मान्य है।
४. यदि माता और पिता दोनों ही सी.एस.डी. में कार्यरत हैं तो उनमें से किसी एक के लिए ऋण ग्राह्य होगा।

पार्ट २

क्षेत्रीय प्रबंधक / उप महाप्रबंधक / डिपो प्रबंधक की सिफारिश:

शाखा/ विभाग /संदर्भसंख्या :

दिनांक :

सेवा में

मुख्यालय अनुभाग -

क्षेत्रीय प्रबंधक / उप महाप्रबंधक / डिपो प्रबंधक

पार्ट ३

(मुख्यालय के प्रयोग हेतु)